बिहार विधान-सभा वादवृत

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

बुधवार, तिथि 6 फरवरी, 1980 ई०

विषय-सूची पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर : नियमावली के नियम 4 (II) के परन्तुक के अधीन सभा मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर।

अल्प सूचित प्रश्नोत्तर संख्या—4 2-10

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या : 62, 65, 66, 71 एवं 74 10-30
पूरक के लिए स्थगित।

परिशिष्ट : (प्रश्नों के लिखित उत्तर) 31-298

दैनिक निबन्ध 299

टिप्पणी :—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के पीछे (*) चिह्न लगा दिया गया है।

गया था। इस आदेश को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द किया जा सकता था।

(3) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(4 सहरसा नियोजनालय के माध्यम से प्राप्त आवेदन-पत्र के अनुसार श्रीमती सिन्हा दो ही ट्रेड में प्रशिक्षित हैं। (सिलाई-कटाई, एवं कसीदा में)।

(5) कोई साक्षात्कार नहीं लिया था। विज्ञापन की शर्तों के अनुसार जिन आवेदिकाओं ने आवेदन आवश्यक कागज संलग्न किया था, उन्हें कार्मिक विभाग के संकल्प सं० 1918 दिनांक 28 जनवरी 1976 की कंडिका 13 के अनुसार मूल प्रमाण पत्रादि दिखलाने के लिए दिनांक 16 अप्रील 1979 को बुलाया गया था। विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अधूरे आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं करना था। श्रीमती सिन्हा का आवेदन पत्र अधूरा था। प्रदेशिका का लब्धांक एवं उम्र के सबूत में स्कूल लिभग सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। इन्हीं कारणों से श्रीमती सिन्हा तथा ऐसी अन्य आवेदिकाओं को मूल कागजात दिखलाने के लिये नहीं बुलाया गया।

नियुक्त अध्यापिकाओं के आवेदन-पत्र विभिन्न नियोजनालयों द्वारा अग्रसारित थे। नियमित रूप से नियुक्त अध्यापिकाओं के पदभार ग्रहण कर लेने के कारण दैनिक वेतन भोगी अध्यापिका को कार्य मुक्त कर दिया गया।

नियुक्ति संबंधी विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए नियमित नियुक्ति की जा चुकी है तथा नव-नियुक्त अध्यापिकाओं से पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः अब इस संबंध में कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता है।

अध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई।

झ-7. श्री ननीगोपाल मिश्र—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष पर लाखों रुपये गबन करने का आरोप सिद्ध हो चुका है;

(2) यदि उपयुक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार ने अबतक समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध कौन-सा कदम उठाया है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग—(1) अध्यक्ष के विरुद्ध कई तरह के आरोप प्राप्त हुये हैं, किन्तु लाखों रुपये के गबन का आरोप सिद्ध हुआ है, यह सही नहीं है।

(2) अध्यक्ष के विरुद्ध प्राप्त आरोपों की जांच का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

सड़क का पक्कीकरण।

त-92. **श्री नन्द किशोर प्रसाद**—क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बक्सर-डुमरांव भाया नदोव-कुल्हरिया (भोजपुर) सड़क को पक्कीकरण करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग—बक्सर-डुमरांव भाया नदोव-कुल्हरिया पथ जिला बोर्ड, भोजपुर की बक्सर-डुमरांव नामक 11 मील 4 फरलांग लम्बी सड़क है। इसके पक्कीकरण में 23 लाख रुपये खर्च होने की संभावना है। अतः अर्थाभाव के कारण उक्त सड़क का पक्कीकरण करना संभव नहीं है।

विद्यालय भवन का निर्माण।

न-389. **श्री नन्द किशोर प्रसाद**—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत राजपुर प्रखंड